# वैतेश्वर राजपत्र

**वैतेश्वर गाउँपालिकाद्धारा प्रकाशित**

**खण्ड ६) पाडुडाँडा, दोलखा, बागमती प्रदेश, नेपाल असार २९ गते २०८० (संख्या १**


## भाग १

## आर्थिक ऐन, २०८०

**(गाउँ सभाबाट पारित)**

(सभाबाट स्वीकृत मिति : २०८०/०३/२५)

**प्रस्तावनाः**

वैतेश्वर गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने, छुट दिने तथा आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

नेपालको संविधानको भाग १९ धारा २२८ को उपधारा (२) बमोजिम वैतेश्वर गाउँपालिकाको गाउँसभाले यो ऐन जारी गरिएको छ।

१. **संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः** (१) यस ऐनको नाम **"वैतेश्वर गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८०"** रहेको छ।

(२) यो ऐन २०८० साल श्रावण १ गते देखि वैतेश्वर गाउँपालिका क्षेत्रमा लागु हुनेछ।

२. **सम्पती/घरधुरी करः** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र अनुसुचि (१) बमोजिम घरधुरी कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ।

३. **भुमिकर/मालपोत (जग्गा तिरो) करः** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र अनुसुचि (२) बमोजिम मालपोत (जग्गा तिरो) कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ।

४. **घर जग्गा बहाल करः** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पुरै वा आंशिक तवरले बहालमा दिएकोमा अनुसुचि (३) बमोजिम घर जग्गा बहाल कर लगाइने र असूल गरिनेछ।

५. **व्यवसाय कर**: गाउँपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पुँजीगत लगानी र आर्थिक कारोबारका आधारमा अनुसुचि (४) बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ।

६. **जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर**: गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले उन, खोटो, जडिबुटी, वनकस, कवाडी माल र प्रचलित कानुनले निषेध गरिएको जीवजन्तु बाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख, छाला जस्ता बस्तुको व्यवसायिक कारोबार गरेबापत अनुसुचि (५) बमोजिमको कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ।

७. **सवारी साधन कर**: गाउँपालिका क्षेत्रभित्र दर्ता भएका सवारी साधनमा अनुसुचि (६) बमोजिम सवारी साधन कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ। तर प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमेजिम हुनेछ।

८. **विज्ञापन कर**: गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने विज्ञापनमा अनुसुचि (७) बमोजिम विज्ञापन कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ। तर कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुनेछ।

९. **मनोरन्जन कर**: गाउँपालिका  क्षेत्रभित्र हुने मनोरञ्जन व्यवसाय सेवामा अनुसुचि (८) बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ। तर प्रदेश कानुन स्वीकृत भई कानुनमा अन्य व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुनेछ।

१०. **बहाल बिटौरी शुल्क**: गाउँपालिका क्षेत्रभित्र आफुले निर्माण, रेखदेख वा संचालन गरेका अनुसुचि (९) मा उल्लेख भए अनुसार हाट बजार वा पसलमा सोही अनुसुचिमा भएको व्यवस्था अनुसार बहाल बिटौरी शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ।

११. **पार्किङ शुल्क**: गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै सवारी साधनलाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराए वापत अनुसुचि (१०) बमोजिम पार्किङ शुल्क  लगाइने र असूल उपर गरिनेछ।

१२. **ट्राभल एजेन्सी, फनपार्क, ग्लाइडिङ, वाटर र्याफ्टीङ, ट्रेकिङ, बन्जी जम्पिङ्ग, घोडचढी, पदयात्रा सञ्चालन शुल्क**: गाउँपालिकाले आफनो क्षेत्रभित्र ट्रेकिङ्ग, कायोकिड, क्यानोइङ्ग, बन्जी जम्पिङ्ग, जिपफलायर र फटिङ्ग सेवा वा व्यवसाय संचालन गरेबापत अनुसुचि (११) बमोजिमको शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ।

१३. **सेवा शुल्क**: गाउँपालिका वा वडा कार्यालयले सिफारिस गर्दा अनुसुची १२ मा उल्लिखित विषयको सिफारिसमा सोही अनुसुचिमा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ

१४. **ढुङ्गा,गिटी,स्लेट,बालुवा,चुनढुङ्गा,अभ्रख र दहत्तर र बहत्तरमा प्राकृतिक कर**: गाउँपालिकाले प्रदेश कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिमको ढुङ्गा,गिटी,स्लेट,बालुवा,चुनढुङ्गा,अभ्रख र दहत्तर र बहत्तरमा प्राकृतिक स्रोत कर असूल उपर गर्नेछ।

१५. **कर,शुल्क र दस्तुर छुट**: यस ऐनमा उल्लेख बमोजिम बाहेक कर, शुल्क र दस्तुर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थाहरुलाई कुनै पनि किसिमको कर,शुल्क र दस्तुर छुट दिईने छैन।

१६. **कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धि कार्यविधिः** यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धी कार्यविधि गाउँपालिकाले तोके अनुसार हुनेछ।

**प्रस्तावित कर, शुल्क, सेवा शुल्क, दस्तुर तथा महशुलका दरहरु अनुसूचीहरुमा उल्लेख गरिएका छन्।**

**अनुसूचि-१**

(दफा २ सँग सम्बन्धित)

**सम्पती/घरधुरी कर**

१) गाउँपालिका क्षेत्र भित्रका प्रत्येक पक्की तथा कच्ची घरहरुमा तपशिल बमोजिमकै दरमा घरधुरी/सम्पती कर लागु गरी कर संकलन गरिनेछ।

| क्र.स. | घरको प्रकार | दस्तुर रु. | कैफियत |
|---|---|---|---|
| १ | कच्ची घर | ५० | |
| २ | पक्की घर १ तला सम्म | १०० | |
| ३ | पक्की घर ३ तला सम्म | १५० | |
| ४ | पक्की घर ४ तला सम्म | २०० | |

क– घरधुरी कर वक्यौता रहेमा ३ वर्ष सम्म १० प्रतिशतले र सो भन्दा माथि १५ प्रतिशतका दरले जरिवाना सहित घरधुरी कर असूल गरिनेछ।)

**अनुसूचि–२**

(दफा ३ सँग सम्बन्धित)

**भूमिकर/मालपोत (जग्गा तिरो) कर**

| क्र.स. | जग्गाको प्रकार | इकाई | मालपोत दस्तुर(तिरो) | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | अब्बल | प्रति रोपनी | रु.१०(रु.दश मात्र) | |
| २ | दोयम | प्रति रोपनी | रु.९(रु.नौ मात्र) | |
| ३ | सीम | प्रति रोपनी | रु. ८(आठ मात्र) | |
| ४ | चाहार | प्रति रोपनी | रु.७(रु.सात मात्र) | |

नोटः (क–कुनै व्यक्तिले आफ्नो खेतियोग्य जमिन बाझो रोखेमा प्रति रोपनी रु.२००(दुई सय मात्र) जरिवाना लिइने छ।

ख– मालपोत दस्तुर(तिरो) वक्यौता रहेमा ३ वर्ष सम्म १० प्रतिशतले र सो भन्दा माथि १५ प्रतिशतका दरले जरिवाना सहित मालपोत शुल्क असूल गरिनेछ।)

**अनुसूचि–३**

(दफा ४ सँग सम्बन्धित)

**घर जग्गा बहाल कर**

१. **संस्थागत बहाल कर**(भवन, घर,पसल,ग्यारेज,टहरा,छप्पर,कारखाना,जग्गा वा पोखरी पूरै वा आशिंक तवरले बहालमा दिएकोमा):

| क्र.स. | विवरण | इकाई | प्रति इकाई दर | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | सरकारी, गैरसरकारी(राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय),बैक तथा वित्तीय संस्था लगायत संस्थागत निकायले (व्यक्ति बाहेक) भुक्तानी गरेको घर जग्गा बहालमा दिएकोमा | बहाल रकमको | १० प्रतिशत | संघिय ऐन अनुसार |

**२. व्यक्तिगत घर बहाल करको दरः**

| क्र.स. | विवरण | इकाई | प्रति इकाई दर | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | व्यक्तिलाई घरको कोठा, पसल, व्यापार व्यवसाय,ग्यारेज,गोदाम,टहरा,छप्पर,कारखाना पूरै वा आंशिक तवरले राख्न भवन घर,जग्गा वा घरको कोठा बहालमा दिएकोमा | बहाल रकमको | ५ प्रतिशत | |

**अनुसूचि–४**

(दफा ५ सँग सम्बन्धित)

**व्यवसाय कर**

**क. व्यवसाय करको विवरण र दरः**

| क्र.स. | व्यवसायको विवरण | कर/दस्तुर रु. | | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | **मदिरा(रक्सी जन्य) तथा सूर्तीजन्य व्यवसाय** | दर्ता | नविकरण | |
| | क) थोक विक्रेता | ५००० | २००० | |
| | ख) खुद्रा विक्रेता | ३००० | १००० | |
| २ | **इलेक्ट्रीक तथा इलेक्ट्रोनिक्स** | | | |
| | क) थोक विक्रेता | ५००० | २००० | |
| | ख) खुद्रा विक्रेता | २००० | ५०० | |
| ३ | **कपडा पसल** | | | |
| | क) सुती कपडा पसल(थो विक्रेता) | ५००० | २००० | |
| | ख) सुती कपडा पसल(खुद्रा विक्रेता) | १००० | ५०० | |
| | ग) फेन्सी कपडा(रेडिमेड) | १००० | ५०० | |
| ४ | **गहना (ज्वेलरी) पसल** | | | |
| | क) सबै खाले गहना निर्माण तथा बिक्री गर्ने | ७००० | ३००० | |
| | ख) स-साना गहना निर्माण तथा बिक्री गर्ने | ३००० | १००० | |
| ५ | **हार्डवयेर एण्ढ सप्लायर्स** | | | |
| | क) थोक विक्रेता | १०००० | ३००० | |
| | ख) खुद्रा विक्रेता | ५००० | २००० | |
| ६ | **कम्प्युटर,टेलिभिजन,फोटोकपी,विद्युत सामान,क्यामेरा,टेलिभिजन,स्टेस्नरी र रेडियो** | | | |
| | क) थोक विक्रेता | ४००० | १००० | |
| | ख) खुद्रा विक्रेता | २००० | ५०० | |
| ७ | **पेट्रोल/डिजेल पम्प तथा ग्याँस** | | | |
| | क) पेट्रोल र डिजेल पम्प | १०००० | ३००० | |
| | ख) ग्याँस तथा मट्टितेल बिक्री गर्ने | ५००० | २००० | |
| ८ | **दैनिक उपभोगका खाद्य पदार्थ(खाद्यान्न,तरकारी तथा फलफुल समेत)** | | | |
| | क) थोक विक्रेता | १००० | ५०० | |
| | ख) खुद्रा विक्रेता | ७०० | २०० | |
| ९ | **पर्यटन,व्यवसाय,आवास,होटेल,रेष्टुरा,रिसोर्ट** | | | |
| | क) ५० लाख भन्दा माथि पुँजी भएका | १५००० | ५००० | |
| | ख) २५ देखि ५० लाख सम्म पुँजी भएका | ८००० | ३००० | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ग) १० देखि २५ लाख सम्म पुँजी भएका | ७००० | ३५०० | |
| | घ) ५ देखि १० लाख सम्म पुँजी भएका | ३००० | १५०० | |
| | ङ) १ देखि ५ लाख सम्म पुँजी भएका | २००० | १००० | |
| | च) १ लाख सम्म पुँजी भएका | १००० | ५०० | |
| १० | **अन्य कार्यालयमा दर्ता भएका सम्पुर्ण व्यवसाय(कृषि फर्म समेत) गाउँपालिका सूचिकृत गराउँदा** | **सुचिकृत** | **नविकरण** | |
| | क) २५ लाख भन्दा माथि पुँजी भएका | १००० | ५०० | |
| | ग) १० देखि २५ लाख सम्म पुँजी भएका | ५०० | ३०० | |
| | घ) ५ देखि १० लाख सम्म पुँजी भएका | ५०० | ३०० | |
| | ङ) १ देखि ५ लाख सम्म पुँजी भएका | ५०० | ३०० | |
| | च) १ लाख सम्म पुँजी भएका | ३०० | २०० | |
| ११ | **कार्पेट एण्ड फर्निसिङ** | | | |
| | क) थोक विक्रेता | ४००० | २००० | |
| | ख) खुद्रा विक्रेता | २५०० | १००० | |
| १२ | **सेवा तथा उद्योग** | | | |
| | क) छापाखाना(ठुला) | ५००० | २००० | |
| | ख) छापाखाना(मझौला तथा साना १० लाख भन्दा कम पुँजी भएका) | ३००० | १५०० | |
| | ग) परामर्श सेवा | २५०० | १००० | |
| | घ) चलचित्र व्यवसाय | ३००० | १५०० | |
| | ङ) सार्वजनिक परिवहन | ५००० | २००० | |
| | च) फोटोग्राफी | ३००० | १५०० | |
| | छ) प्रयोगशाला | ३००० | १५०० | |
| | ज) हवाइ सेवा | ५००० | २५०० | |
| | झ) शीत भण्डार | ४००० | २००० | |
| १३ | **निर्माण तथा औद्योगिक सेवा** | | | |
| | क) सडक, पुल, रोपवे, रेलवे, टलिवस, टनेल, फ्लाइङ बृज तथा औद्योगिक, व्यापारिक एवं आवास कम्प्लेक्स आदि निर्माण गरी संचालन गर्ने उद्योग व्यवसायमा | १०००० | ५००० | |
| १४ | **विशेष परामर्श तथा अन्य व्यवसायिक सेवा** | | | |
| | क) चिकित्सक | २५०० | १००० | |
| | ख) कविराज | १००० | ५०० | |
| | ग) इन्जिनियर | २००० | १००० | |
| | घ) कानुन व्यवसायी | २००० | १००० | |
| | ङ) लेखा परिक्षक | २००० | १००० | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | च) दन्त चिकित्सक | २५०० | १५०० | |
| | छ) अनुसन्धानकर्ता तथा परामर्श दाता | २५०० | १५०० | |
| | ज) कम्प्युटर एनालिष्ट तथा प्रोगामर | २५०० | १५०० | |
| | झ) बीमा एजेन्ट | २००० | १००० | |
| | ञ) सर्भेयर | २५०० | १५०० | |
| | ट) अनुवादक | २००० | १००० | |
| | ठ) पशु चिकित्सक | ३००० | १५०० | |
| | ड) शेयर दलाल | २००० | १००० | |
| | ढ) सामान ढुवानी कर्ता तथा कम्पनी | २००० | १००० | |
| | ण) संस्थागत पेन्टर | ५००० | २५०० | |
| १५ | **सवारी साधन बिक्री केन्द्र** | | | |
| | क) सवारी साधन विक्रेता | १०००० | ५००० | |
| १६ | **उत्पादक मूलक उद्योग** | | | |
| | क) कोरा माल वा अर्ध प्रशोधित माल वा खेर गईरहेको माल सामानको वा अन्य माल सामान प्रयोग वा प्रशोधन गरी माल सामान उत्पादन गर्ने उद्योग | ५००० | २५०० | |
| १७ | **कृषि तथा वन्यजन्य उद्योग** | | | |
| | क) वन पैदावरमा आधारित उद्योग(उत्पादन गर्ने) | १०००० | ५००० | |
| | ख) वन पैदावरमा आधारित व्यवसायमा | ५००० | २५०० | |
| | ग) कृषिमा आधारित उद्योग व्यवसायमा | ३००० | १५०० | |
| | घ) कृषक समुह | ५०० | २०० | |
| | ङ) रासायनिक मल विक्रेता | २००० | ५०० | |
| | च) कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय | ५०० | २०० | |
| १८ | **निर्माण व्यवसाय** | | | |
| | क) **घ** वर्गको व्यवसायीको इजाजत पत्र प्रदान | ५००० | ३००० | |
| | ख) **घ** वर्गको व्यवसायीको इजाजत पत्रको प्रतिलिपि | रु.५०० | | |
| | ग) **घ** वर्गको व्यवसायीको इजाजत पत्रको नविकरण (थप) | रु.३००० | | |
| १९ | **खनिज उद्योग** | | | |
| | क) खनिज उत्खनन् वा प्रशोधन गर्ने उद्योग व्यवसायमा | १०००० | ५००० | |
| २० | **उर्जा मूलक उद्योग** | | | |
| | क) जलश्रोत, वायु, सौर्यशक्ति, कोइला, प्राकृतिक तेल, ग्याँस, बायोग्यास, अन्य श्रोतहरुबाट उर्जा पैदा गर्ने उद्योग व्यवसायमा | ५००० | ५०० | |
| २१ | **स्वास्थ्य सेवा** | | | |
| | क) गैर सरकारी अस्पताल | ७००० | ३००० | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ख) नर्सिङ होम | ६००० | ३००० | |
| | ग) क्लिनिक तथा ल्याब | ५००० | २५०० | |
| २२ | **सञ्चार सेवा** | | | |
| | क) निजी क्षेत्रको हुलाक सेवा | १५०० | ५०० | |
| | ख) निजी क्षेत्रको टेलिफोन, फ्याक्स, फोटोकपी, मोबाइल फोन, STD, ISTD इमेल, इन्टरनेट, रेडियो पेजिङ आदि | २००० | १००० | |
| | ग) कुरियर सेवा | १५०० | ५०० | |
| २३ | **शिक्षा सेवा** | | | |
| | क) निजी क्षेत्रका स्कुल, क्याम्पस, विश्वविद्यालय | ५००० | २५०० | |
| | ख) तालिम तथा अनुसन्धान केन्द्र | ३००० | १५०० | |
| | ग) टाइपिङ, कम्प्युटर तथा भाषा प्रशिक्षण संस्था | ३००० | १५०० | |
| | घ) गैहसरकारी संस्था | १०००० | ५००० | |
| २४ | **मर्मत सम्भार** | | | |
| | क) हेवी इक्यूमेन्टस् बस, ट्रक, कार, मोटर साइकल, टेम्पो, साइकल आदि मर्मत कारखाना | ५००० | २५०० | |
| | ख) रेडियो, टि.भि., घडी, प्रेशर कुकर, हिटर, टेलिफोन सेट , विद्युत सामाग्री मर्मत केन्द्र | ३००० | १५०० | |
| २५ | **वित्तिय सेवा** | | | |
| | क) नेपाल सरकारको पुर्ण स्वामित्व रहेको बाहेक आर्थिक कारोवार गर्ने वाणिज्य बैक | १५००० | ५००० | |
| | ख) आर्थिक कारोवार समेत गर्ने वित्तीय कम्पनीको मुख्य कार्यालय | १०००० | ५००० | |
| | ग) बैक तथा वित्तिय संस्था | १०००० | ५००० | |
| | घ) वित्तीय कम्पनीको शाखा कार्यालय | ३००० | १५०० | |
| | ङ) बीमा कम्पनी | १०००० | ५००० | |
| | च) विदेशी मुद्रा सटही | ३००० | १५०० | |
| | छ) धितोपत्र कारोबार | ३००० | १५०० | |
| | ज) माइक्रोफाइनन्स सुचिकृत र नविकरण | ५००० | २५०० | |
| | **झ) सहकारी संस्था** | | | |
| | क) सहकारी दर्ता | ५००० | | |
| | ख) सहकारी नविकरण कुल पुँजीको आधारमा ( १ करोड सम्म) | २००० | | |
| | ग) १ करोड भन्दा माथि प्रति करोड रु.५०० का दरले थप हुने | | | |
| | घ) सहकारी एकीकरण, नाम परिवर्तन तथा उदेश्य संशोधन(विधान शंसोधन) | ५००० | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **डिभिजन सहकारी कार्यालयमा दर्ता भई कार्यक्षेत्र वैतेश्वर गाउँपालिका भएका सहकारी संस्था** | | | | |
| | | **सूचिकृत** | **नविकरण** | |
| | क) कुल पुँजी १ करोड सम्म भएको संस्था | २००० | ४००० | |
| | ख) कुल पुँजी १ करोड देखि १० करोड सम्म भएको संस्था | २००० | ५००० | |
| | ग) कुल पुँजी १० करोड देखि २० करोड सम्म भएको संस्था | २००० | ६००० | |
| | घ) कुल पुँजी २० करोड देखि ५० करोड सम्म भएको संस्था | २००० | ७००० | |
| | ङ) कुल पुँजी ५० करोड भन्दा माथि भएको संस्था | २००० | ८००० | |
| **डिभिजन सहकारी कार्यालयमा दर्ता भई गाउँपालिका, अन्य स्थानिय तह र जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्था** | | | | |
| | क) कुल पुँजी १ करोड सम्म भएको संस्था | ३००० | ५००० | |
| | ख) कुल पुँजी १ करोड देखि १० करोड सम्म भएको संस्था | ३००० | ६००० | |
| | ग) कुल पुँजी १० करोड देखि २० करोड सम्म भएको संस्था | ३००० | ७००० | |
| | घ) कुल पुँजी २० करोड देखि ५० करोड सम्म भएको संस्था | ३००० | ८००० | |
| | ङ) कुल पुँजी ५० करोड भन्दा माथि भएको संस्था | ३००० | १०००० | |
| २६ | **अन्य सेवा** | | | |
| | क) विज्ञापन सेवा | १५०० | ५०० | |
| | ख) बैदेशिक रोजगार सेवा | ५००० | २००० | |
| | ग) स्वदेशी रोजगार सेवा | १५०० | ५०० | |
| | घ) सेक्रेटरियल सेवा | १५०० | ५०० | |
| | ङ) हाउजिङ्ग कम्पनी तथा घरजग्गा खरिद बिक्री | ५००० | २००० | |
| | च) ब्यूटी पार्लर, केश सिंगार, ड्राई क्लिनर्स, फोटो स्टुडियो, सिलाई सेन्टर आदि | २००० | १००० | |
| | छ) साइन बोर्ड बनाउने पेन्टिङ सेवा | २००० | १००० | |
| | ज) पशु बधशाला | ३००० | १५०० | |
| | झ) मासु विक्रेता | २००० | १००० | |
| | ञ) फुल र विरुवा बिक्रेता | १००० | ५०० | |
| | ट) पुल हाउस | १००० | ५०० | |
| | ठ) खोटो व्यवसायी | २००० | १००० | |
| | ड) सिसा, प्लाइउड विक्रेता | ४००० | २००० | |
| | ढ) भाँडाकुडा विक्रेता | २००० | १००० | |
| | ण) स्टिल, काठ,फर्निचर बिक्रेता | २००० | १००० | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | त) खेलौना, उपहार(गिफ्ट)बिक्रेता | १००० | ५०० | |
| | थ) पार्क पिकनिक स्पोर्ट | १००० | ५०० | |
| | द) क्यासिनो | ५०००० | १०००० | |
| | ध) मसाज पार्लर | ५००० | २५०० | |
| | न) टुर अपरेटर | ४००० | २००० | |
| २७ | **केबुल नेटवर्किङ(ग्राहक संख्याको आधारमा)** | | | |
| | क) तीनसय सम्म ग्राहक संख्या भएमा | १५००० | ५००० | |
| | ख) तीन सय भन्दा बढी ग्राहक भएमा | २०००० | १०००० | |
| २८ | इन्टरनेट सेवा प्रदायक सुचीकरण रु.३०००<br>इन्टरनेट सेवा प्रदायक नविकरण रु.२००० | | | |
| २९ | **साना तथा एकल व्यवसाय** | | | |
| | क) माछा तथा मासु पसल | १००० | ५०० | |
| | ख) सिलाई तथा बुनाई | १००० | ५०० | |

व्यवसाय दर्ता गर्नको लागि आवश्यक कागजात सहित वडा कार्यालयको अनिवार्य सिफारिस लिइ व्यवसाय दर्ता प्रमाण पत्र लिनको लागि गाउँपालिकामा पेश गर्नुपर्ने छ ।

क) माथी उल्लेख भएको व्यवसायहरुमा सोही अनुसार र नभएको हकमा राजश्व परामर्श समितिको सिफारिसमा गाउँपालिकाको बोर्ड बैठकबाट निर्णय गरी कर निर्धारण गरिने छ ।

ख) कुनै एक व्यवसायको इजाजत लिई अन्य व्यवसाय समेत थप गरी व्यवसाय सञ्चालन गरेको हकमा माथि उल्लेखित दरको प्रत्येक व्यवसायमा ५०% ले हुने रकम थप व्यवसाय कर लिने ।

ग) चालु आ.व. भित्र असुल नभई अर्को आ.व. भित्र असुल गर्दा ३०% प्रतिशत थप विलम्व शुल्क सहित असुल गरिनेछ । चालु आ.ब.अगाबै कुनै लाग्ने शुल्क वा कर अग्रिम भुक्तानी गरेमा ५ प्रतिशत छुट दिने ।

अनुसूचि–५

(दफा ६ सँग सम्बन्धित)

**जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु र कृषि उत्पादन सम्बन्धि कर**

**क) जडिबुटी लगायत अन्य वन पैदावरको व्यवासायिक उपयोगमा लाग्ने करको दरः**

प्रचलित कानुनले निषेध गरे बाहेकको

| क्र.स. | विवरण | इकाई | प्रति इकाई दर | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | मजिठो | केजी | १.५० | |
| २ | ओखरफलको बोक्रा | केजी | १.५० | |
| ३ | ओखर काण्ड बोक्रा | केजी | १० | |
| ४ | चिराइतो | केजी | २.५० | |
| ५ | चुत्रोको बोक्रा | केजी | १.२५ | |
| ६ | कुरिलोको जरा | केजी | १.५० | |
| ७ | सुगन्धवाल | केजी | ४ | |
| ८ | अल्लो | केजी | २ | |
| ९ | झ्याउ | केजी | ७ | |
| १० | अर्गेली | केजी | ३.२५ | |
| ११ | पाखनवेत | केजी | २ | |
| १२ | लोक्ता | केजी | ६ | |
| १३ | ठिग्रें सल्लाको सिम्टा | केजी | २१ | |
| १४ | धसिंगरेतेल | केजी | २० | |
| १५ | अम्रिसो | केजी | १ | |
| १६ | जटामसी | केजी | ३ | |
| १७ | तेजपात | केजी | ०.२० | |
| १८ | गोब्रे सल्लाको सिम्टा | केजी | ०.३० | |
| १९ | खोल्मे | केजी | ०.३० | |
| २० | नागबेली पाउडर | केजी | १५.५० | |
| २१ | खोटो | केजी | २ | |
| २२ | गोब्रे सल्लाको पातको तेल | केजी | ३० | |
| २३ | भिरमह | केजी | ५ | |
| २४ | सतुवा | केजी | ११ | |
| २५ | धुपीपात | केजी | १ | |
| २६ | नागबेली | केजी | ०.५० | |
| २७ | काउलोको बोक्रा | केजी | ३ | |
| २८ | सुगन्धित तेल | केजी | ५० | |
| २९ | साधारण च्याउ | केजी | २ | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ३० | इन्द्रेयनी | केजी | २ | |
| ३१ | नेपाली कागज | कोरी | ७ | |
| ३२ | सल्लो बरामदी काठ(गोलिया) | क्यु.फि. | ५ | |
| ३३ | सल्लो बरामदी काठ(चिरान) | क्यु.फि. | १० | |
| ३४ | निकासी हुने सल्लो काठ(गोलिया) | क्यु.फि. | ३ | |
| ३५ | निकासी हुने सल्लो काठ(चिरान) | क्यु.फि. | ५ | |
| ३६ | उत्तिस अन्य बरामदी काठ(गोलिया) | क्यु.फि. | ४ | |
| ३७ | उत्तिस अन्य बरामदी काठ(चिरान) | क्यु.फि. | ७ | |
| ३८ | निकासी हुने उत्तिस अन्य काठ(गोलिया) | क्यु.फि. | २ | |
| ३९ | निकासी हुने उत्तिस अन्य काठ(चिरान) | क्यु.फि. | ३ | |
| ४० | भेनियर पत्ता(ट्रयाक्टर) | ट्रिप | ५०० | |
| ४१ | भेनियर पत्ता(मिनी ट्रक) | ट्रिप | १२०० | |
| ४२ | भेनियर पत्ता(ट्रक) | ट्रिप | १५०० | |
| ४३ | भेनियर पत्ता(भ्यान ट्रक) | ट्रिप | १७०० | |
| ४४ | तयारी प्लाइउड(ट्रयाक्टर) | ट्रिप | ३००० | |
| ४५ | तयारी प्लाइउड(मिनी ट्रक) | ट्रिप | ४००० | |
| ४६ | तयारी प्लाइउड(ट्रक) | ट्रिप | ५००० | |
| ४७ | तयारी प्लाइउड(भ्यान ट्रक) | ट्रिप | ६००० | |
| ४८ | दाउरा(ट्रयाक्टर) | ट्रिप | २५ | |
| ४९ | दाउरा(मिनी ट्रक) | ट्रिप | ५० | |
| ५० | दाउरा(ट्रक) | ट्रिप | १०० | |
| ५१ | दाउरा(भ्यान ट्रक) | ट्रिप | १५० | |
| ५२ | काठको भुस(ट्रयाक्टर) | ट्रिप | ६०० | |
| ५३ | काठको भुस(मिनी ट्रक) | ट्रिप | १००० | |
| ५४ | काठको भुस(भ्यान ट्रक) | ट्रिप | १२०० | |
| ५५ | बाँस | गोटा | ०.५० | |
| ५६ | बन लसुन | केजी | १ | |
| ५७ | हाडे लसुन | केजी | ०.२५ | |
| ५८ | कुरीलो | केजी | १.२५ | |
| ५९ | कोइला | केजी | ५ | |
| ६० | बुकीफुल | केजी | २ | |
| ६१ | अविजालो | केजी | ५ | |
| ६२ | निगालो | गोटा | ०.२५ | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ६३ | अलैची | केजी | १ | |
| ६४ | यार्सागुम्बा | केजी | १५०० | |
| ६५ | लोठ सल्लाको पात | केजी | ५ | |
| ६६ | सुठो | केजी | १ | |
| ६७ | लप्सी | केजी | ०.५० | |

**ख) कवाडी मालसामान**

| क्र.स. | विवरण | इकाई | प्रति इकाई दर | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | धातुका टुक्राहरु र फलामजन्य सामाग्रीहरु | प्रति के.जी | २ | |
| ३ | मदिरा र अन्य पेय पदार्थका खाली सिसी र सिसाको बोतल | प्रति गोटा | ०.१५ | |
| ४ | प्लाष्टिकजन्य सामाग्रीहरु(बोतल, भाडाँकुँडा, पुराना जुत्ता,चप्पल,ग्यालन र जर्किन आदि | प्रति के.जी | १.५० | |
| ५ | थोत्रिएर काम नलाग्ने मेशिनरी औजार | प्रति के.जी | २ | |
| ५ | **खाली बोराः** | | | |
| | १) ५० केजीसम्म खाद्यान्न अँट्ने प्लाष्टिकको खाली बोरा | प्रति गोटा | ०.२५ | |
| | २) ५० केजीसम्म खाद्यान्न अँट्ने जुटको खाली बोरा | प्रति गोटा | २ | |
| | ३) १०० केजीसम्म खाद्यान्न अँट्ने प्लाष्टिकको खाली बोरा | प्रति गोटा | ०.१५ | |
| | ४) १०० केजीसम्म खाद्यान्न अँट्ने जुटको खाली बोरा | प्रति गोटा | १.५० | |
| ६ | **तेलको टिन** | | | |
| | १) १० लिटरभन्दा बढी अँट्ने तेलको टिन | प्रति गोटा | १ | |
| | २) १० लिटरभन्दा कम अँटने तेलको टिन | प्रति गोटा | ०.५० | |
| **पुन प्रशोधन हुन सक्ने कवाडी मालसामानमा लाग्ने करः** | | | | |
| क्र.स. | विवरण | इकाई | प्रति इकाई दर | कैफियत |
| १ | कार्पेटको टुक्रा | प्रति के.जी | ०.१५ | |
| २ | टायरट्यूब | प्रति के.जी | १ | |
| ३ | थोत्रो टिन | प्रति के.जी | ०.५० | |
| ४ | पुरानो ड्रम | प्रति के.जी | ०.५० | |
| ५ | अन्य कागज(कार्टुन समेत) | प्रति के.जी | १ | |
| ६ | पोलिथिन पाइपका टुक्रा | प्रति के.जी | १ | |
| ७ | सिसा(लीड)धुलो वा टुक्रा | प्रति के.जी | २ | |

**बैतेश्वर गाउँपालिका भित्र उत्पादन भै निकासी हुने माथि उल्लेखित बाहेक अन्य बस्तुहरुको हकमा गाउँपालिको निर्णय बमोजिम हुनेछ ।**

**ग) प्रचलित कानुनले निषेध गरे बाहेकको मरेका वा मारिएका पञ्छीको प्वाँख र पशुको हाड,छाला,सिंङ्ग र खुर निकासी करको दरः**

| क्र.स. | विवरण | इकाई | प्रति इकाई दर रु. | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | प्वाँख | के.जी. | १.५० | |
| २ | हाड | के.जी. | १.५० | |
| ३ | सिङ् | के.जी. | १.५० | |
| ४ | खुर | के.जी. | १.५० | |
| ५ | छालाको ठुलो | गोटा | ३० | |
| ६ | छालाको सानो | गोटा | १५ | |

**घ) कृषि, पशु तथा पशुजन्य वस्तुको निकासी करको दरः**

| क्र.स. | विवरण | इकाई | प्रति इकाई दर रु. | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | भैसी जात (भैसी,राँगा आदि) | गोटा | १०० | |
| २ | गाई जात –गाई,गोरु आदि) | गोटा | ५० | |
| ३ | भेडा,बाख्रा,बंगुर जात(भेडा,बाख्रा,बंगुर आदि) | गोटा | २० | |
| ४ | कुखुरा/कुखुराको जात | ट्रिप | १०० | |
| ५ | अण्डा (सात क्रेट बराबर एक बाकस) | बाकस | ५ | |
| ६ | गोलभेडा,काउली,आलु,लसुन(ठुलो ट्रक) | ट्रिप | ५०० | |
| ७ | गोलभेडा,काउली,आलु,लसुन(मिनी ट्रक/टयाक्टर) | ट्रिप | २०० | |
| ८ | बन्दा,साग(ठुलो ट्रक) | ट्रिप | २०० | |
| ९ | बन्दा,साग(मिनी ट्रक/टयाक्टर) | ट्रिप | १०० | |
| १० | लसुन,वेसार,अदुवा,(ठुलो ट्रक) | ट्रिप | ७०० | |
| ११ | लसुन,वेसार,अदुवा,(मिनी ट्रक/टयाक्टर) | ट्रिप | ३०० | |

**अनुसूचि–६**

(दफा ७ सँग सम्बन्धित)

**सवारी साधन कर**

क) केन्द्र वा प्रदेशमा सवारी साधन दर्ता तथा अनुमति लिएका सबै प्रकारका सवारी साधनहरु बैतेश्वर गाउँपालिका भित्र नियमित रुपमा सञ्चालन गर्दा गाउँपालिकामा अनिवार्य अभिलेखिकरण गरी सञ्चालन को अनुमति लिनु पर्नेछ। गाउँपालिकाबाट अनुमति लिएका सवारी साधनले निम्नानुसार वार्षिक शुल्क बुझाउनु पर्नेछ।

| क्र.स. | विवरण | दर | कैफियत |
|---|---|---|---|
| १ | बस, ट्रक, लरी र अन्य हेभी गाडी | १००० | |
| २ | भाडाका ट्र्याक्टर कार जीप | ३०० | |
| ३ | भाडाको टेम्पो | १०० | |
| ४ | भाडाको मिनिवस | ७०० | |
| ५ | नीजि कार, टेम्पो र मिनीबस | २०० | |
| ६ | स्कुटर, मोटरसाइकल तथा अन्य सवारी साधन | १०० | |
| ७ | ठेलागाडा तथा रिक्सा | २५ | |

**गाउँपालिकामा दर्ता नभएका कुनैपनि सवारी साधनको दुर्घटना, बीमा वा अन्य किसिमको सिफारिश लिँदा माथि उल्लेखित सवारी साधन दर्ता शुल्कको दोब्बर शुल्क लिई सिफारिस प्रदान गरिनेछ।**

**अनुसूचि–७**

(दफा ८ सँग सम्बन्धित)

**विज्ञापन करको दररेट**

| क्र.स. | विवरण | दर रु.मा |
|---|---|---|
| १ | फ्लेक्स बोर्डबार्ट तयार गरिएको विज्ञापन प्रचार सामाग्रीको प्रतिवर्ष प्रति वर्ग फुट | ३० |
| २ | डिजिटल बोर्ड,ग्लो साइनबोर्ड,स्टिकरबाट गरिने विज्ञापन प्रचार सामाग्रीको प्रतिवर्ष प्रतिवर्ग फुट | १० |
| ३ | खेलकुद मैदान र यस्तै प्रकृतिका अनुमति लिएर गरिने कार्यक्रममा गरिने विज्ञापन वापत सम्बन्धित आयोजकबाट | पहिलो दिन ५००। पछिको प्रत्येक दिन रु.१०० का दरले थप हुने |
| ४ | परिचयपत्र पाटी(Sign Board)६ वर्ग फुटसम्म | १०० |
| ५ | परिचयपत्र पाटी(Sign Board)१५ वर्ग फुटसम्म | ३०० |
| ६ | परिचयपत्र पाटी(Sign Board)१५ वर्ग फुटभन्दा माथि | प्रतिवर्गफुट रु.१० का दरले थप हुने |
| ७ | सार्वजनिक स्थानमा व्यानर टाँगेमा प्रति मिटर ७ दिन सम्म रु ७/- सो पछि प्रतिदिन थप रु. ५/- | |
| ८ | १ मीटर र १ वर्ग फिट सम्मको विज्ञापन १ महिना सम्मको प्रतिदिन रु १/-र सो भन्दा बढि राख्नु परेमा प्रतिदिन रु. २/- | |
| ९ | आफ्नो व्यवसाय परिचयको लागि १५ स्क्वायर फिट सम्म १ थान वोर्ड व्यवसायीले आफ्नो पसल वा व्यवसाय रहेको भित्ता पर्खाल वा अगाडिको भागमा राख्न पाउने छन् र १ भन्दा धैरै वोर्ड राख्नु परेमा माथिको दररेटमा सम्वन्धित व्यवसायीले विज्ञापन कर वापत बुझाउनु पर्ने छ । | |
| **प्रचलित कानूनले विज्ञापन गर्न निषेध गरेका व्यवसायसँग सम्बन्धित होडिङ बोर्ड राख्न र विज्ञापन राख्न पाइने छैन ।** | | |

**अनुसूचि–८**

(दफा ९ सँग सम्बन्धित)

**मनोरञ्जन कर**

क) सिनेमाहल वा भिडियो हलहरुमा प्रवेश शुल्कको ३ % का दरले मनोरञ्जन कर असुल गरिनेछ । चालु आ.व. भित्र असुल नभए अर्को वर्ष ५ % थप गरी असुल गरिनेछ ।

ख) जादु, सर्कस, चटक आदिमा अनुमति बिना प्रदर्शन गर्न नदिने । अनुमति दिंदा प्रतिदिनको रु. ५००/-शुल्क लिइनेछ ।

**अनुसूचि–९**

(दफा १० सँग सम्बन्धित)

**बहाल विटौरी शुल्क**

१) गाउँपालिका क्षेत्रभित्रमा निर्माण, रेखदेख वा सञ्चालन गरेको हाट बजार र सार्वजनिक स्थल, ऐलानी जग्गा वा बाटो छेउमा अस्थायी पसल वा व्यवसाय गर्न दिए वापत प्रति वर्गफिट मासिक रु. ५/- बहाल बिटौरी कर असुल गरिने छ।

**अनुसूचि–१०**

(दफा ११ सँग सम्बन्धित)

**पार्किङ शुल्क**

क) मोटरसाईकलको लागि पहिलो २ घण्टाको लागि रु ५/- र सो भन्दा वढिको लागि रु १०/-

ख) हलुका सवारी साधनको लागि पहिलो २ घण्टाको लागि रु. १०/- र सो भन्दा वढिको लागि रु. २०/-

ग) ट्रयाक्टरको लागि पहिलो २ घण्टाको लागि रु. १५/-र सो भन्दा वढिको लागि रु. २५/-

घ) हेभि सवारी साधनको लागि पहिलो २ घण्टाको लागि रु २५/-र सो भन्दा वढिको लागि रु. ४०/-

**अनुसूचि–११**

(दफा १२ सँग सम्बन्धित)

**१. गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र ट्राभल एजेन्सी, फनपार्क, ग्लाइडिङ, वाटर र्याफ्टीङ, ट्रेकिङ, बन्जी जम्पिङ्ग, पदयात्रा, घोडचढी आदि जस्ता व्यवसाय सञ्चालनमा तपशिल बमोजिम वार्षिक शुल्क लाग्नेछ।**

| ट्राभल्स, टुर्स एण्ड मनोरञ्जन | दर |
|---|---|
| क) ट्राभल एजेन्सी, ग्लाइडिङ, वाटर र्याफ्टीङ, ट्रेकिङ, , आदि जस्ता व्यवसायमा | १०००० |
| ख) फनपार्क, पदयात्रा, घोडचढी आदि | ७५०० |

## अनुसूची–१२

(दफा १३ सँग सम्बन्धित)

**सेवा शुल्क,दस्तुर**

**क) अन्य सेवा शुल्कको दर:**

| क्र.स. | विवरण | इकाई | दर | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | सभाहल भाडा | दिन | १५०० | |
| २ | पानी(कारखानाबाट उत्पादित) | लिटर | ०.१० | |

**ख) दर्ता, नविकरण र सिफारिस दस्तुर दर तथा अन्य सेवाशुल्क**

| क्र.स. | विवरण | इकाई | प्रति इकाई दर रु. | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | श्रोत प्रमाणित(अंग्रेजी र नेपाली) | प्रतिशत | ०.५० प्रतिशत | |
| २ | सम्पति मूल्याङ्क(अंग्रेजी र नेपाली) | प्रतिशत | ०.५० प्रतिशत | |
| ३ | सामाजिक संघ संस्था दर्ता | सिफारिस | २००० | |
| ४ | सामाजिक संघ संस्था नविकरण | सिफारिस | १००० | |
| ५ | महिला/आमा समुह दर्ता | सिफारिस | ५०० | |
| ६ | महिला/आमा समुह नविकरण | सिफारिस | २०० | |
| ७ | उपभोक्ता समिति दर्ता | सिफारिस | ५०० | |
| ८ | उपभोक्ता समिति नविकरण | सिफारिस | २०० | |
| ९ | गैर सरकारी संघ संस्था दर्ता/सिफारिस दस्तुर | सिफारिस | २००० | |
| १० | रु.१ लाख सम्म आर्थिक कारोबार गर्ने गैरसरकारी संघ संस्थाको लागि नविकरण दस्तुर | सिफारिस | ५०० | |
| ११ | रु.१ लाख भन्दा बढी रु. ५ लाख सम्म आर्थिक कारोबार गर्ने गैरसरकारी संघ संस्थाको लागि नविकरण दस्तुर | सिफारिस | ७०० | |
| १२ | रु.५ लाख भन्दा बढी रु. १० लाख सम्म आर्थिक कारोबार गर्ने गैरसरकारी संघ संस्थाको लागि नविकरण दस्तुर | सिफारिस | १००० | |
| १३ | रु.१० लाख भन्दा बढी रु. ५० लाख सम्म आर्थिक कारोबार गर्ने | सिफारिस | १५०० | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | गैरसरकारी संघ संस्थाको लागि नविकरण दस्तुर | | | |
| १४ | रु.५० लाख भन्दा बढी रु. १करोड सम्म आर्थिक कारोबार गर्ने गैरसरकारी संघ संस्थाको लागि नविकरण दस्तुर | सिफारिस | २००० | |
| १५ | रु.१ करोड भन्दा बढी आर्थिक कारोबार गर्ने गैरसरकारी संघ संस्थाको लागि नविकरण दस्तुर | सिफारिस | ३००० | |
| १६ | जलस्रोत मुहान दर्ता निवेदन दस्तुर | पटक | १०० | |
| १७ | जलस्रोत मुहान दर्ता | दर्ता | २००० | |
| १८ | जलस्रोत मुहान नविकरण | नविकरण | १००० | |
| १९ | जलस्रोत मुहान विलम्ब जरिवाना | पटक | ५०० | |
| २० | प्रकोप व्यवस्थापन विशेष कोष दस्तुरः गैरसरकारी संस्थाहरुको कारोबार(प्राप्ती) अङ्को ०.१ प्रतिशत वा न्युनतम रु.२०/-मध्ये जुन बढी हुन्छ सोही रकम बराबरको दस्तुर | | | |
| २१ | व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणिकरण दस्तुर(३५ दिन पछाडी) | प्रमाणिकरण | ५०० | |
| २२ | व्यक्तिगत घटना दर्ता (पंजीकरण) त्रुटी/गल्ती सच्याउने/सच्याउन सिफारिस गर्ने दस्तुर | सिफारिस | २०० | |
| २३ | विभिन्न संघ संस्था वा समितिहरुलाई योजना/आयोजना/कार्यक्रम आदिको मागको लागि सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुमा सिफारिस वापत प्रति सिफारिस दस्तुर | सिफारिस | २०० | |
| २४ | विभिन्न संघ संस्था वा समितिहरुलाई योजना/आयोजना/कार्यक्रम आदिको मागको लागि विभिन्न विदेशी निकायहरु तथा दात्रृ निकायहरुमा सिफारिस दस्तुर | सिफारिस | १००० | |
| २५ | कुनै विज्ञ/पेशागत कार्य/अध्ययन अनुसन्धान कार्य गर्न अनुमति वा सिफारिस दस्तुर | सिफारिस | १००० | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| २६ | लघु जलविद्युत आयोजना(१ मेघावट भन्दा कम ) को सर्वेक्षण अनुमती/सिफारिस दस्तुर | सिफारिस | १००० | |
| २७ | लघु जलविद्युत आयोजना(१ मेघावट भन्दा कम ) को निर्माण अनुमती/सिफारिस दस्तुर | सिफारिस | १०००० | |
| २८ | लघु जलविद्युत आयोजना(१ मेघावट भन्दा माथि ) को सर्वेक्षण अनुमती/सिफारिस दस्तुर | सिफारिस | २००० | |
| २९ | **जग्गा सम्बन्धी सिफारिस दस्तुरः** | | | |
| | जग्गा दर्ता सिफारिस निवेदन फाराम र निवेदन दर्ता दस्तुर समेत | एकमुष्ट | १००० | |
| | मोही दर्ता तथा मोही नामसारी सिफारिस निवेदन दर्ता र निवेदन फाराम समेत | एकमुष्ट | ५०० | |
| | मोही दर्ता तथा मोही नामसारी सिफारिस निवेदन दर्ता र निवेदन फाराम समेत | एकमुष्ट | ५०० | |
| ३० | **विभिन्न प्रकारका व्यवसाय, घरेलु उद्योग दर्ता तथा सिफारिस निवेदन दर्ता** | | | |
| | साना घरेलु उद्योग | सिफारिस | १००० | |
| | मझौला उद्योग | सिफारिस | १५०० | |
| | ठुला उद्योग (चिरान मिल, फर्निचर उद्योग) | सिफारिस | २००० | |
| | अन्य सेवा उद्योग तथा व्यवसाय सम्बन्धी सिफारिस | सिफारिस | ११००० | |
| | डिलर लिने सिफारिस | सिफारिस | ५००० | |
| | रासायनिक मल बिक्रेता सिफारिस | सिफारिस | ५०० | |
| ३१ | **चार किल्ला प्रमाणितः** | | | |
| | १ कित्ता सम्म | पटक | २०० | |
| | १ कित्ता भन्दा माथि प्रति कित्ता थप | पटक | १०० | |
| ३२ | **अन्य शुल्क तथा सिफारिस दस्तुर** | | | |
| | सिफारिस दस्तुर | पटक | १०० | |
| | नागरिकता लिनका लागी | पटक | १०० | |
| | नागरिकताको प्रतिलिपी लिन | पटक | १५० | |
| | अंगिकृत नागरिकता | पटक | १००० | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | धारा, बिजुली जडान सिफारिस | पटक | ५०० | |
| | प्रतिलिपी प्रमाणित दस्तुर | प्रति पाना | २० | |
| | घरबाटो भए नभएको प्रमाणित गर्दा ग्रामिण क्षेत्रमा | सिफारिस | ५०० | |
| | घरबाटो भए नभएको प्रमाणित गर्दा (बजार क्षेत्र) | सिफारिस | ७०० | |
| | एकिकृत सम्पत्ति कर रसिदको प्रतिलिपी | सिफारिस | ५० | |
| | अन्य कागजातको प्रतिलिपी दस्तुर | प्रति पाना | ५० | |
| | घर जग्गा फिल्ड नापजाँच/फिल्ड रेखांकन/सर्जमिन ५ रोपनी सम्म | सिफारिस | १००० | |
| | घर जग्गा फिल्ड नापजाँच/फिल्ड रेखांकन/सर्जमिन १० रोपनी सम्म | सिफारिस | २००० | |
| | घर जग्गा फिल्ड नापजाँच/फिल्ड रेखांकन/सर्जमिन १५ रोपनी सम्म | सिफारिस | ४००० | |
| | घर जग्गा फिल्ड नापजाँच/फिल्ड रेखांकन/सर्जमिन १५ रोपनी देखी २० रोपनी सम्म | सिफारिस | ५००० | |
| | घर जग्गा फिल्ड नापजाँच/फिल्ड रेखांकन/सर्जमिन २० रोपनी भन्दा माथि | सिफारिस | रू.५००० र थप १० रोपनी बराबर रु.५०० थप | |
| | नोटः घर जग्गा फिल्ड नापजाँच गर्ने प्रयोजनमा एउटै जग्गाधनि पुर्जा कायम भएकोमा मात्र माथिको दर लागु हुने | | | |
| | सञ्चार टावर स्वीकृति सिफारिस | सिफारिस | १०००० | |
| | अस्थाई प्रकृतिको निर्माण स्वीकृति निवेदन फाराम (ग्रामिण क्षेत्रका लागि) | सिफारिस | १०० | |
| | अस्थाई प्रकृतिको निर्माण स्वीकृति निवेदन फाराम (बजार क्षेत्रका लागि) | सिफारिस | २०० | |
| | नाता प्रमाणित | सिफारिस | २०० | |
| | नाता सम्बन्ध प्रमाणित | सिफारिस | २०० | |
| | अंग्रेजीबाट गरिने जुनसुकै प्रकारका सिफारिसको प्रति सिफारिस | सिफारिस | २५० | (जन्म प्रमाणित, विवाह प्रमाणित, कर चुक्ता आदि) |
| | नाबालक परिचय पत्र दस्तुर | सिफारिस | १०० | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | निजी स्तरका विद्यालय स्थापना तथा तहवृद्धि सम्बन्धी सिफारिस गर्दा माध्यमिक विद्यालयको लागी | सिफारिस | ५००० | |
| | निजी स्तरका विद्यालय स्थापना तथा तहवृद्धि सम्बन्धी सिफारिस गर्दा आधारभूत विद्यालयको लागी | सिफारिस | १००० | |
| | सामुदायिक/सरकारी विद्यालयको तहवृद्धि सम्बन्धी सिफारिस | सिफारिस | ५०० | |
| | गाउँपालिकाको स्वामित्व रहेका पिच सडक काटने स्वीकृत | सिफारिस | ५००० | |
| | वादविवाद (मुद्धा) सम्बन्धी निवेदन दर्ता | पटक | १०० | |
| | विपत व्यबस्थापन शुल्क (बजार क्षेत्रमा) | वार्षिक | ५० | |
| | विपत व्यबस्थापन शुल्क (ग्रामिण क्षेत्रमा) | वार्षिक | २० | |

***(नोटः निःशुल्क भन्दा बाहेक सबै प्रकारका सिफारिसहरुको दस्तुर अनिवार्य तिर्नुपर्नेछ।***

**ग) फोहोरमैला व्यवस्थापन सेवा शुल्क(मासिक)निम्नानुसार लगाइने छः**

क) आवासीय घर ३ तल्ला सम्म रु. ५०/-

ख) आवासिय ४ तल्ला वा सो भन्दा माथि रु. १००/-

ग) पसल सटर भए प्रति पसल थप रु. १००/-

घ) सामान्य प्रकृतिका होटल, रेष्टुरेण्ट थप रु. १५०/-

ङ) ठुला प्रकृतिका होटल लज रु. ५००/-

च) हस्पिटल रु. १,५००/-

छ) अन्य संघ संस्था रु. ५००/-

ज) अन्यको हकमा तथा सेवा शुल्क निर्धारणमा कठिनाई उत्पन्न भएमा व्यवसायको प्रकृति हेरी गाउँपालिकाको निर्णय बमोजिम हुनेछ।

**(नोटः- ठुला प्रकृतिका होटल लज रेष्टुरेण्ट भन्नाले १० कोठाभन्दा बढीलाई जनाउँछ र १० कोठा तलकाले साना प्रकृतिका होटल लजलाई जनाउँछ )**

**घ) घर नक्सापास निर्माण स्वीकृति एव् अभिलेखिकरण दस्तुरः**

| क्र.स. | विवरण | इकाई | प्रति इकाई दर |
|---|---|---|---|
| १ | नक्शापास आवेदन पुस्तिका | गोटा | १००० |
| २ | नक्सापास अभिलेखिकरण पुस्तिका | गोटा | ५०० |
| ३ | नक्सा नामसारी दस्तुर | पटक | १००० |
| ४ | घर निर्माण अनुमति शुल्क | पटक | ५०० |

| क्र.स. | स्ट्रक्चर प्रकार | इकाई | दर | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| ५ | लामोसाँगु जिरी सडक खण्ड र दाँयाबाँया ३०० मिटर आसपासको क्षेत्र | फ्रेम स्ट्रक्चर | ४ | |
| | | लोड बियरिङ | ३ | |
| | | कच्ची घर | २ | |
| ६ | गोपीखोला गैरिमुदी उपल्लोमुदि जोरमाने सडक, बुस्ती पुतलीकाठ सानीटार पाइले चिलाउनेखर्क मिर्गे लहरेमाने सडक,बगर मजुवा मिर्गे सडक, मैनापोखरी हिटी बगर सडक,नाम्दु पाँडुडाँडा सुलीडाँडा हस्पिटल सडक, नाम्दु मार्बु क्षेत्रपा सडक,सिद्दाकोथान एवो सडक र उक्त सडकको दाँयाबाँया ३०० मिटर आसपासको क्षेत्र | फ्रेम स्ट्रक्चर | ३ | |
| | | लोड बियरिङ | २ | |
| | | कच्ची घर | १ | |
| ७ | वैतेश्वर गाउँपालिकाका अन्य शाखा सडक तथा सडकसँग नजोडिएका गोरेटो बाटो क्षेत्रमा | फ्रेम स्ट्रक्चर | २ | |
| | | लोड बियरिङ | १ | |
| | | कच्ची घर | ०.५० | |

८) नक्सापास स्वीकृत नभएका,मापदण्ड विपरित निर्माण भएका तथा कार्यालयले निर्माण सम्पन्न दिन नसक्ने प्रकृतिका घर तथा भवनहरुको अभिलेखिकरण दस्तुर नक्सापास दस्तुर सरह हुनेछ।

९) गाउँपालिका गठन हुनु अगाडि निर्माण भएका घरहरुका घरधनीले घर दर्ता गरी निर्माण सम्पन्न गरेको प्रमाण कागजात खोजेमा हाल कायम रहेको नक्सापास दस्तुरको ७५ प्रतिशत दस्तुर लिई प्रमाण कागजात उपलब्ध गराईने छ। गाउँपालिका गठन हुनु अगाडि गाविसको कार्यालयबाट नक्शा पास भएका घरहरु गाउँपालिकाले पास गरे सरह हुनेछ।

१०) नक्शापास प्रमाण–पत्र र घर निर्माण सम्पन्न प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपी दस्तुर रु. ५००/- लिई प्रतिलिपी सरोकारवालालाई दिईने छ। Plinth Level भन्दा माथि Super Structure को नक्शा पास गरी निर्माण सम्पन्न प्रमाण–पत्र तोकिएको समयमा नलिएमा बिलम्ब दस्तुर रु ३,०००/- वा लाग्ने राजश्वको २५ प्रतिशत मध्ये जुन वढि हुन्छ सो वरावरको थप दस्तुर लिई निर्माण सम्पन्न पत्र प्रदान गरिने छ।

११) घर निर्माणको लागि नक्सा पास गरे बमोजिम भन्दा फरक संरचना बनाएमा १०० प्रतिशत जरीवाना लिइने छ।

१२) घर निर्माणको लागि नक्सा पास गरे पनि २ वर्ष सम्म विविध कारणले घर निर्माण नगरेमा नक्सा पास शुल्क फिर्ता हुने छैन र सो अवधि पछि पुनः अनुमति तथा नक्सा पास लिनु पर्नेछ ।

**ङ) खानीजन्य पदार्थ निकासी करको दरः**

| क्र.स. | विवरण | इकाई | प्रति इकाई दर रु. | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | म्याग्नेसाइट ढुङ्गा | मेट्रिक टन | ५० | |
| २ | भुइमा विच्छाउने चप्लेटी ढुङ्गा | वर्ग फिट | २ | |
| ३ | छाना छाउने स्लेट ढुङ्गा | वर्ग फिट | २ | |
| ४ | लोहोरे ढुङ्गा | घन मिटर | १४५ | |
| ५ | चुन तथा कमेरो(ट्रक तथा भ्यान) | प्रति ट्रिप | ५०० | |
| ६ | चुन तथा कमेरो( मिनि ट्रक तथा ट्याक्टर) | प्रति ट्रिप | ३०० | |

**आज्ञाले**

**ऋषिराम ज्ञवाली**

**प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत**